अमरजीत सिंह एवं अन्य

बनाम

देवी रतन व अन्य

(सिविल अपील नंबर 5790-92/2002)

नवम्बर 18, 2009

(हरजीत सिंह बेदी और डॉ. बी.एस.चौहान, न्यायमूर्ति..)

सेवा कानून:

वरिष्ठता- कर्मचारियों को दो क्रमिक डी पी सी द्वारा अलग अलग मानदंडो के तहत पदोन्नत किया गया लेकिन सभी को एक ही दिन पोस्टिंग दी गई- पूर्व वाली डी. पी. सी. द्वारा पदोन्नत किये गये कर्मचारियों को उन कर्मचारियों से जो कि बाद मे पदोन्नत हुये वरिष्ठ दिखाकर वरिष्ठता सूची तैयार की गई- यह कहते हुये चुनौती दी गई कि सभी को एक ही दिन पोस्टिंग दी गई, फीडर कैडर में वरिष्ठता को बरकरार रखा जाना चाहिए- निर्णित- उच्च न्यायालय ने यह मानकर स्वयं को गलत निर्देश दिया कि दोनो वर्गों के अधिकारीयों को एक ही तारिख से काल्पनिक पदोन्नति दी गई, जो कि, वास्तव मे, तथ्यात्मक रूप से सही नही है- उत्तर प्रदेश सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त सेवा नियम, 1992 को

ध्यान मे रखते हुये अधिकारियों की अन्तर वरिष्ठता तय करने के उद्देश्य से भर्ती वर्ष पर विचार किया जाना है कि अधिकारी 1 जुलाई से 12 माह की अवधि के भीतर पदोन्नत किये गए- इसलिए, किसी वर्ग विशेष के अधिकारियों को वर्ष 1995 से भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दी गई तथा दुसरे वर्ग के अधिकारियों को वर्ष 1997 व 1998 मे पदोन्नति दी गई, वे केवल इस आधार पर की उन सभी को एक ही दिन पोस्टिग दी गई, एक समान नही माने जा सकते है। - किसी अधिकारी को कैडर मे उसके जन्म से पूर्व पदोन्नति नही दी जा सकती, दुसरे जो कि उससे पहले पदस्थापित हुए, उनकी वरिष्ठता को विपरित रूप से प्रभावित करते हुए- वर्तमान प्रकरण मे दिनांक 19.12.1998 एवं 22.01.1999 को आयोजित दो विभिन्न डी. पी. सी. द्वारा पदोन्नति दी गई- दोनो डी. पी. सी. द्वारा विभिन्न नियमों के तहत विभिन्न मानदंडो के आधार पर पदोन्नति दी गई तथा उनकी पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से अलग अलग तारिखो पर काल्पनिक रूप से की गई।- योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति को चुनौती नही दी गई- वरिष्ठता जो कि पदोन्न्ति का पारिणाम है उसे पदोन्न्ति को चुनौती दिये बगैर चुनौती नही दी जा सकती, क्योंकि मूल आदेश को चुनौती दिये बगैर पारिणामिक आदेश को चुनौती दिया जाना अनुमत नही है- पदोन्नति को चुनौती के अभाव मे, पारिणामिक वरिष्ठता सूचि को रद्द करने का अनुतोष नही दिया जा सकता- उच्च न्यायालय का वरिष्ता सूची रद्द करने का आदेश अपास्त किया जाता है- उ.प्र. सरकारी सेवक वरिष्ठता

नियम, 1991-नियम 6- उ. प्र. सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त सेवा नियम, 1972- नियम 3 (1)

अन्तरिम आदेश:-

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय मे अपील- उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के अन्तिम निर्णय के अधीन अन्तरिम आदेश पारित किया गया- अपील खारिज की गई लेकिन रिट याचिकाकर्ताओ को पदावनत करने की विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई- याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के आधार पर सेवा मे अपनी वरिष्ठता चाही- निर्णित- कोई भी पक्षकार विधि के न्यायालय मे केवल प्रकरण लम्बित होने के आधार पर लाभ प्राप्त नही कर सकता, क्योकि अन्तरिम ओदश हमेशा प्रकरण के पारित होने वाले अन्तिम आदेश मे समाहित हो जाता है- और यदि रिट याचिका अन्ततः खारिज हो जाती है तो अन्तरिम आदेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा- कहावत'' एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट'' का अर्थ है न्यायालय के कृत्य से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा, हस्तगत प्रकरण में लागू हो जाती है- ऐसी तथ्यात्मक स्थिति मे, न्यायालय के कृत्य द्वारा यदि किसी पक्षकार के साथ गलत हुआ है तो उसे सही करने के लिए न्यायालय दायित्वाधीन है- पुनर्स्थापन की प्रयोज्यता को आकर्षित करने वाला कारक न्यायालय का कार्य गलत होना या न्यायालय द्वारा की गई गलती नही है, परिक्षण यह है

कि क्या किसी पक्ष के किसी कृत्य के कारण अदालत को अंत में टिकाउ न माने जाने वाले आदेश को पारित करने के लिए राजी करने के परिणामस्वरूप एक पक्ष को वह लाभ प्राप्त हुआ है जो वह अन्यथा अर्जित नही कर पाता या दूसरे पक्ष को दरिद्रता का सामना करना पड़ा है जिसे अदालत के आदेश और ऐसे पक्ष के कृत्य के बिना भुगतना नही पडता-पक्षकारो द्वारा उसी स्थिति में रखे जाने की मांग करने में कुछ भी गलत नही है जिसमे वे होते, अगर अदालत ने अपने अंतरिम आदेश से हस्तेक्षप नही किया होता-जब कार्यवाही के अंत में अदालत अपना न्यायिक फैसला सुनाती है जो उसके अपने अंतरिम फैसले से मेल नही खाता है और उसका समर्थन नहीं करता है।

जिन कर्मचारियों को योग्यता के मानदंड के आधार पर पदोन्नत किया गया था वे पूरी तरह से न्यायसंगत आधार साम्ययिक राहत के हकदार है। उच्च न्यायालय द्वारा रदद् की गई वरिष्ठता सूची बहाल की जाती है-पुनर्स्थापन मैक्सिमः एक्टस क्यूरिया नेमिनम ग्रवबिट चित्रंजा मेनन और अन्य की प्रयोज्यता बनाम ए बालाकृष्णन व अन्यएआईआर 1977 एससी 1720 युपी राज्य व अन्य बनाम ओंकारनाथ टंडन और अन्य एआईआर 1993 एससी 1173, डॉ. एस.पी. कपूर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एआईआर 1981 एससी 2181 रोशनलाल व अन्य बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एवं अन्य-एआईआर 1981 एससी 597

एच.वी. परदासानी आदि बनाम भारतसंघ व अन्य-एआईआर 1985 एससी 781 महाराष्ट्र सरकार और अन्य बनाम देवकर की डिस्टिलरी(2003)5 एससीसी 669 पर निर्भर शिवशंकर व अन्य बनाम निदेशक मंडल उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम एवं अन्य 1995 सप्ल.(2)एससीसी 726, मैसर्स जीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्यएआईआर 1998 एससी 1566ए जयपुर नगर निगम बनाम सी.एल. मिश्रा (1005) 8 एससीसी 423 रामकृष्ण वर्मा व अन्य बनाम यूपी राज्य व अन्य -एआइ्रआर 1992 एससी 1888 ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी कलकत्ता और अन्य-एआईआर 1980 एससी 656 महादेव सावलाराम शेके और अन्य बनाम पुणे नगर निगम एवं अन्य (1995) 3 एससीसी 33 साउथ इस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्यएवं अन्य। एआईआर 2003 एससी 4482 कामताका दुर्लभ पृथ्वी एवं अन्य बनाम वरिष्ठ भूविज्ञानी, खान एवं भूविज्ञान विभाग एवं अन्य (2004) 2 एससीसी 783 ,डॉ. ए. आर.सरकार बनाम यूपी राज्य एवं अन्य (1993)पुरक 2 एससीसी एफ 734 और प्रबंधन समिति आर्य नगर इंटर कॉलेज और अन्य बनाम श्री कुमार तिवारी एवं अन्य। एआईआर 1997 एससी 3071 पर भरोसा किया।

केस लॉ संदर्भ

एआईआर 1993 एससी 1173 भरोसा किया पैरा 12

1995 सप्ली.(2) एससीसी 726 भरोसा किया पैरा 15

एआईआर 1998 एससी 1566 भरोसा किया पैरा 15

(2005) 8 एससीसी 423 भरोसा किया पैरा 15

एआईआर 1992 एससी 1888 भरोसा किया पैरा 16

एआईआर 1980 एससी 656 भरोसा किया पैरा 16

(1995) 3 एससीसी 33 भरोसा किया पैरा 17

एआईआर 2003 एससी 4482 भरोसा किया पैरा 18

(2004) 2 एससीसी 783 भरोसा किया पैरा 18

(1993) सपली. 2 एससीसी 734 भरोसा किया पैरा 19

एआईआर 1997 एससी 3071 भरोसा किया पैरा 20

एआईआर 1981 एससी 2181 भरोसा किया पैरा 23

एआईआर 1977 एससी 1720 भरोसा किया पैरा 25

एआईआर 1981 एससी 597 भरोसा किया पैरा 26

एआईआर 1985 एससी 781 भरोसा किया पैरा 27

(2003) 5 एससी 669 भरोसा किया पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 2002 की सिविल अपील संख्या 5790-5792

इलाहबाद लखनऊ उच्च न्यायालय के डबल्यु पी. नं. 2000 का 1192 एसबी 1611 एसबी और 1881 एसबी के निर्णय और आदेश मे पारित दिनांक 11.04.2002 से।

के साथ

2002 के एसएलपी सिविल नं. 9615

राकेश द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, गौरव अग्रवाल (ए.सी),विश्वजीत सिंह, सिद्वार्थ सेंगर, राहुल दुआ, अंकित दलेला,मनीष शंकर, अभिषेक क्र.सिंह, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, मुकेश वर्मा और अशोक के.श्रीवास्तव, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय अभिनिर्धारित किया गया

आदेश

1. यह अपीले इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.4.2002 से उत्पन्न हुई है जिसके द्वारा

उन्होंने आबकारी निरीक्षक के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची दिनांक 12.7.2000 को रदद् करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी।

2. इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य एवं परिस्थितियां यह है कि इन मामलों में अपील कर्ताओं तथा उत्तरदाताओं को उत्तरप्रदेश उत्पाद शुल्क सेवा (वर्ग-II) नियम, 1970 (इसके बाद इसे नियम 1970 कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत उत्पाद शुल्क निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। पक्षकार उक्त नियम 1970 के तहत उत्पाद शुल्क अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र हो गए। आबकारी अधीक्षक और सहायक आबकारी आयुक्त के उच्च पद के लिए (जिसे इसके बाद "ए. ई. सी." कहा जाएगा) अपीलार्थी अमरजीतसिंह ने कुछ अन्य आबकारी निरीक्षकों के साथ 1992 के नियमों के तहत पदोन्नति के लिए चयन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 1113(एस.बी.) 1994 दायर की। उच्च न्यायालय ने निर्णय एवं आदेश दिनांक 1.2.1995 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि रिक्तियां जो कि दिनांक 10.10.94 से पूर्व (जो कि संशोधन की दिनांक है) अस्तित्व में आई उन्हें असंशोधित नियमों के तहत भरी जावे (अर्थात योग्यता के आधार पर न कि अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता के आधार पर)

3. इससे व्यथित होने पर, यू.पी. राज्य ने विशेष अनुमति

याचिका इस न्यायालय के समक्ष पेश की तथा इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.10.1995 के द्वारा राज्य प्राधिकरण को 1994 के संशोधित नियमों के तहत पदोन्नति किये जाने के संबंध में अन्तरिम आदेश पारित किया, लेकिन उक्त आदेश याचिका के परिणाम के अधीन था, क्योंकि इस न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि याचिका खारिज कर दी जाती है तो प्रत्यर्थियों को उस निचले पद पर वापस भेज दिया जाएगा जहां से उन्हें पदोन्नत किया जाएगा।

4. इस न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए, 61 आबकारी निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया, जो कि विशेष अनुमति याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन था। इस न्यायालय ने उक्त विशेष अनुमति याचिका को आदेश दिनांक 19.8.1999 के माध्यम से खारिज कर दिया। हालांकि राज्य प्राधिकरणों ने उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, पदोन्नत अधिकारियों को पदावनत नहीं किया और वे उच्च पदों पर बने रहे। विभागीय पदोन्नति समिति (जिसे इसके बाद डी.पी.सी. कहा जाएगा) 42 रिक्तियों को भरने के लिए जो कि 10.10.1994 से पूर्व अस्तित्व में आई थी, 19.12.1998 पर मिलती थी, बनाई गई। सेवा अभिलेखों की जांच करने एवं उम्मीद्वारों की योग्यता निर्धारित करने के बाद, समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि केवल 30 उम्मीद्वार ए.ई.सी. के पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त थे और उन्हें वर्षवार रिक्तियों की

उपलब्धता के अनुसार पदोन्नत किया जाना था। उक्त चयन की प्रक्रिया में हस्तगत प्रकरण के प्रत्यर्थीगण को अनुपयुक्त पाया गया।

5. उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद, ए.ई.सी. के 12 पद रिक्त रहे। इसलिए इन 12 रिक्तियों को भरने के लिए एक अलग मानदंड पर राज्य प्राधिकरणों को सक्षम बनाने के लिए संशोधित नियमों के तहत आगे बढाया। -जो कि अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता के अधीन है। इस प्रकार एक अन्य डी.पी.सी. जो कि 22.1.1999 को हुई, के द्वारा 12 अधिकारियों/प्रत्यर्थीगणों को संशोधित नियमों के तहत पदोन्नत किया गया। राज्य सरकार ने इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश के तहत दिनांक 6.12.1995 को पदोन्नत किए गए आबकारी निरीक्षकों को पदावनत करने का आदेश दिनांक 15.5.1999 जारी किया एवं अपीलार्थियों के साथ-साथ सभी पदावनत अधिकारियों/प्रत्यर्थियों को भूतलक्षी प्रभाव के साथ काल्पनिक पदोन्नति दी गई। परिणामस्वरूप, एक वरिष्ठता सूची दिनांकित 12.7.2000 जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण के उपर रखा गया। व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने उक्त वरिष्ठता सूची दिनांक 12.7.2000 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

6. उच्च न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.4.2002 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि दोनों समुह के अधिकारियों की नियुक्ति अर्थात प्रथम जो कि डी.पी.सी. दिनांक

19.12.1998 द्वारा पदोन्नत किए गए थे एवं दूसरे जो कि डी.पी.सी. दिनांक 22.1.1999 द्वारा पदोन्नत किये गये थे, उन्हें उसी दिन बनाया गया था और उन्हें एक ओर एक ही तारीख से काल्पनिक पदोन्नति दी गई थी, उनकी अंतर वरिष्ठता तय की जानी थी, क्योंकि यह आबकारी निरीक्षकों के पोषण संवर्ग में मौजूद थी और इस प्रकार दिनांक 12.7.2000 की वरिष्ठता सूची को रदद् कर दिया गया और राज्य को अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण से नीचे रखते हुए एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। इस कारण ये अपीले हुई।

7. इन अपीलों में, अधिकांश अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण पदोन्नति से उत्पन्न लाभ प्राप्त कर चुके थे और पेंशन की उम्र प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो चुके थे जिनकी मुकदमेबाजी में कोई रूचि नहीं रही। केवल दो अपीलार्थी एवं दो से चार प्रत्यर्थी अभी भी सेवा में है एवं वे अपीलार्थी यह महसूस करते है कि यदि उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावशील होता है तो वे विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। इन मामलों में प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकरण से छूट की मांग की, क्योंकि उनके पक्षकार कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं दे रहे थे। उन्हें नोटिस दिये जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया। इसलिए इस न्यायालय ने दिनांक 26.8.2009 को विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव अग्रवाल को न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया,

जिन्हें प्रकरणों के कागजात उपलब्ध कराए गए और आज वे प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित हुए।

8. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी का तर्क रहा है कि राज्य प्राधिकरण ने न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का घोर उल्लंघन किया है, क्योंकि प्रत्यर्थीगण का ए.ई.सी. के पद के लिए पदोन्नति, इस न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका के निर्णय के अधीन थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उक्त याचिका के खारिज होने पर, कथित प्रत्यर्थीगणों को पदावनत कर देना चाहिए था। इस न्यायालय द्वारा याचिका खारिज कर दिये जाने के बावजूद उन्हें जारी रखने की अनुमति देने का सवाल आवश्यक नहीं था और इसलिए इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। डी.पी.सी.द्वारा ''योग्यता'' के आधार पर असंशोधित नियमों के तहत की गई पदोन्नति को बाद के चरण में किसी अन्य डी.पी.सी. द्वारा आयोजित ''अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता'' के आधार पर संशोधित नियम के तहत दी गई पदोन्नति के बराबर नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने दोनों पदोन्नतियों को एक ही तारीख से काल्पनिक रूप से किए जाने पर विचार करने में गलती की। ऐसी तथ्यपूर्ण स्थिति में, वैधानिक नियमों की व्याख्या करने का सवाल एक अनुचित कार्यवाही थी। अपीलार्थीगण को भूतलक्षी रूप से पदोन्नत किया गया था, प्रत्यर्थीगण को दी गई काल्पनिक पदोन्नति की तारीख से भी पहले।

इसलिए उनकी अन्तर वरिष्ठता को देखते हुए वरिष्ठता तय करने का निर्देश, जैसा कि पोषण संवर्ग में मौजूद था, अनुमत नहीं था। अपीले स्वीकार्य किये जाने योग्य है तथा दिनांक 12.7.2000 की वरिष्ठ सूची को बरकरार एवं अक्षुण्ण रखते हुए विवादित निर्णय एवं आदेश, परिणामी वरिष्ठता सूची दिनांक 26.7.2002 के साथ अपास्त किये जाने योग्य है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा तथा गौरव अग्रवाल ने अपीलों का जोरदार विरोध करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के बचाव के पूरे प्रयास किए तथा यदि पदस्थापन्न आदेश उसी तारीख को जारी किए गए, तो आबकारी निरीक्षकों के पद पर पक्षकारों की अन्तर वरिष्ठता को प्रभावी बनाना चाहिए। इसलिए अपीले खारिज किए जाने योग्य है।

10. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया। निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय ने यू.पी. सरकारी कर्मचारी वरिष्ठता नियम 1991 (जिसे इसके बाद नियम 1991 कहा जाएगा) के नियम 6 की व्याख्या करते हुए प्रकरण का निर्णय किया है।

11. उच्च न्यायालय ने 1991 के नियम 6 एवं इसके परन्तुक पर विस्तार से विचार करते हुए बिना इसकी वैधता की जांच किए प्रभावी बनाया है। जिसे संबंधित रिट याचिका में इसके समक्ष चुनौती दी गई।

उच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें याचिकाकर्ताओं के लिए नियम 6 की वैधता को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं था, क्योंकि उनकी वरिष्ठता पहले ही तय की जा चुकी थी।

1992 के नियम 3(1) में भर्ती वर्ष को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

> "भर्ती वर्ष का अर्थ है कैलेंडर वर्ष के जुलाई के पहले दिन से शुरू होने वाले बारह महीनों की अवधि।"

इसलिए अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता तय किए जाने के लिए हमें भर्ती वर्ष को भी ध्यान में रखना होगा, इस बात को विचार में रखते हुए कि अधिकारी वर्ष के जुलाई के पहले दिन से 12 महीनों के भीतर पदोन्नत हुए, इसलिए यदि अधिकारियों के एक वर्ग विशेष को वर्ष 1995 में भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नती दी गई तथा दूसरे वर्ग के अधिकारियों को वर्ष 1997 एवं 1998 में दी गई तो उन्हें केवल इसलिए कि उन सभी का एक ही दिन पदस्थापन्न किया गया, एक समान नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दर्ज करने में त्रुटि की कि अधिसूचना संख्या-1098 दिनांक 15.5.1999 द्वारा दोनों वर्गो के अधिकारियों को एक और उसी दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति दी गई। इसलिए उनकी वरिष्ठता का निर्धारण 1991 के नियम 6 के अनुसार बिना किसी व्याख्या के किया जाना है।

12. चूंकि उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है कि अधिकारियों के दोनों वर्गों को एक एवं उसी दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति दी गई, जो कि, वास्तव में तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, संविधिक नियमों की व्याख्या तथा इसका स्पष्टीकरण अप्रासंगिक है। इस न्यायालय ने यू.पी.राज्य व अन्य बनाम औंकार नाथ टंडन ।एआईआर 1993 एससी 1173 में यह अभिनिर्धारित किया कि ''.एक उम्मीदवार जिसे सामान्य चयन में खारिज कर दिया जाता है और हटा दिया जाता है वह बाद में पदोन्नत होने पर वरिष्ठता हासिल नही करेगा। उच्च न्यायालय ने इस उपधारणा के तहत उक्त फैसले को गलत ठहराया कि दोनों वर्ग के अधिकारियों को एक ही तारीख से काल्पनिक पदौन्नति दी गई थी।''

13. उच्च न्यायालय ने पहले की रिट याचिका का फैसला यह देखते हुए किया है कि रिक्तियां जो कि नियमों में संशोधन के पहले हुई थी अर्थात दिनांक 13.10.1994 को, उन्हें असंशोधित नियमों के अनुसार भरा जाना था। राज्य सरकार ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की।

इस न्यायालय ने दिनांक 30.10.1995 को निम्न आदेश पारित किया--

''विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान

नियुक्तियां मौजूदा नियमों के अनुसार की जा सकती है, लेकिन सभी नियुक्त व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा कि नियुक्तियां याचिका के परिणाम के अधीन है तथा यदि न्यायालय पाता है कि संशोधित नियम प्रत्यर्थी दावेदार के संबंध में लागू नहीं होते है तो वे वर्तमान पद से पदावनत किये जाने के उत्तरदायी होंगे। जहां से वे पदोन्नत होंगे।''

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थीगण को पदोन्नत किया गया तथा जारी रखने की अनुमति दी गई। इस न्यायालय ने अन्ततः कथित याचिका दिनांक 19.8.1998 को निम्न आदेश पारित करते हुए खारिज कर दी--

''हमने याचिकाकर्ता की ओर से इस विशेष अनुमति याचिका के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.बी. रस्तोगी तथा प्रत्यर्थी सं.5 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.एल. सांधी व प्रत्यर्थी संख्या-1 से 4 व 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग पी. त्रिपाठी को सुना तथा उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अभिलेख का भी अवलोकन किया। इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमे नहीं लगता कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत

इस न्यायालय के हस्तक्षेप का मामला बनता है। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।''

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को प्रत्यर्थीगण को पदावनत करना चाहिए था, क्योंकि उनकी पदोन्नति उक्त याचिका के निर्णय के अधीन थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी इस न्यायालय के आदेश के अधीन कई वर्षों तक उच्च पद पर बने रहे, यहां तक कि राज्य द्वारा दायर याचिका के खारिज होने के बाद भी तथा राज्य प्राधिकरणों द्वारा पदोन्नति करने की कयावद नहीं की गई। इसलिए अपीलार्थीगण उनकी बिना किसी गलती के पीडित नहीं होने चाहिए। प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह उचित रूप से स्वीकार किया गया है कि यदि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.8.1998 के तुरन्त बाद पदोन्नति की कार्यवाही कर दी गई होती तो अपीलार्थीगण को बहुत पहले पदोन्नत किया जा सकता था तथा वे प्रत्यर्थीगण से वरिष्ठ हो सकते थे। इस प्रकार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अपीलार्थीगण को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के लिए किसी ऐसे मामले में पीडित होने के लिए कहा जाना चाहिए जिसमें कोई गुणदोष न हो।

15. कोई भी पक्षकार न्यायालय में केवल मामले के लंबित रहने से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अन्तरिम आदेश हमेशा

प्रकरण में पारित होने वाले अंतिम आदेश में समाहित हो जाता है तथा यदि अन्ततः रिट याचिका खारिज कर दी जाती है तो अन्तरिम आदेश स्वतः रदद् हो जाता है। किसी पक्ष को अन्तरिम आदेश प्राप्त कर उसके बाद न्यायालय को दोष देकर स्वयं की गलतियों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह तथ्य कि अन्ततः रिट याचिका बिना किसी योग्यता के पाई जाती है, यह दर्शित करता है कि एक तुच्छ रिट याचिका दायर की गई थी। कहावत ''एक्टस् क्यूरी नेमीनेम ग्रेवाबीट'' का अर्थ है कि न्यायालय का कार्य किसी के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा, ऐसे प्रकरणों में लागू होता है। ऐसी तथ्यात्मक परिस्थितियों में न्यायालय के कृत्य से किसी पक्षकार के साथ हुए गलत को सही करने के लिए न्यायालय बाध्य है। इस प्रकार न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्षकार द्वारा प्राप्त अयोग्य तथा अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमेबाजी की संस्था एक वादी को विलम्ब के आधार पर न्यायालय के कृत्य से लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकती। (शिव शंकर व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य, 1995 सप्लीमेंटरी(2) एससीसी 726; मैसर्स जीटीसी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य, एआईआर 1998 एससी 1566; और जयपुर मुन्सिपल कॉर्पोरेशन बनाम सी.एल.मिश्रा, (2005) 8 एससीसी 423)

16. रामकृष्ण वर्मा व अन्य बनाम यू.पी. राज्य व अन्य ए.आई.आर. 1992 एस.सी. 1888 के मामले में इस न्यायालय ने इसी तरह के विवाद का परीक्षण किया। इसी न्यायालय ने अपने पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए ग्रिडलेज बैंक लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी कलकत्ता व अन्य ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 656 में यह प्रतिपादित किया कि कोई पक्षकार न्यायालय के कृत्य से पीडित नहीं हो सकता और यदि किसी प्रकरण में अन्तरिम आदेश पारित किया गया है तथा याचिकाकर्ता इसका लाभ उठाता है तथा अन्ततः याचिका में कोई योग्यता नहीं होने के आधार पर याचिका खारिज हो जाती है तो न्यायहित में न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी अयोग्य तथा अनुचित लाभ को बेअसर किया जाना चाहिए।

17. महादेव सवलाराम शेके व अन्य बनाम पूणे नगर निगम व अन्य (1995) 3 एस.सी.सी. 33 के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अन्तरिम राहत देते समय न्यायालय द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए वादी को एच के पास एक बांड दाखिल करने के लिए बुलाने की प्रक्रिया भी अपनानी चाहिए। न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है कि वाद में मांगी गई राहत प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में, वह वादी के पक्ष में दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश के कारण हुए नुकसान के लिए प्रतिवादी को पर्याप्त मुआवजा देगा। अन्यथा भी

न्यायालय निषेधाज्ञा देने में अपने इक्विटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा देने से प्रतिवादी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पर्याप्त मुआवजा देने में भी सक्षम है। हर्जाने का आर्थिक पुरस्कार विवाद के निर्णय के परिणामस्वरूप होता हैै और उसका परिणाम न्यायालय द्वारा मामले के निर्धारण के लिए प्रासंगिक होता है। न्यायालय प्रतिवादी को मुकदमे मे शिकायत की गई कार्यवाही के साथ आगे बढने से रोकने के निषेधाज्ञा देने के कार्य से प्रतिवादी को हुए नुकसान को कम करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकता है। ऐसी कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग पर रोक लगाने और वादी के आज्ञा पर न्यायालय के कृत्य से प्रतिवादी को हुई क्षति या चोट की पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है।

18. साउथ इस्टर्न कोलफिल्डस लि. बनाम एम. पी. राज्य व अन्य एआईआर 2003 एससी 4482 के मामले मे इस न्यायालय ने इस विवाद का विस्तृत रूप से परीक्षण किया तथा निर्णित किया कि न्यायालय के कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा। पुर्नस्थापन की प्रयोज्यता को आकर्षित करने वाला कारक न्यायालय की गलती या त्रुटि होना नही है परीक्षण यह है कि क्या किसी पक्षकार के कृत्य के कारण जो कि न्यायालय को आदेश पारित करने के लिए पीछे पडता है जो अन्त में धारणीय नही होता है जिसके परिणामस्वरूप किसी एक पक्ष को लाभ प्राप्त

हुआ है, जो उसने अन्यथा अर्जित नही किया होगा या दूसरे पक्ष को नुकसान उठाना पडा है जो कि न्यायालय के आदेश तथा ऐसे पक्षकार के कृत्य के कारण उसे नहीं झेलना पडता। इसमें कुछ भी गलत नही है कि पक्षकार उन्हे उसी स्थिति में रखने के लिए मांग करे जिसमें कि यदि न्यायालय अपने अंतरिम आदेश के जरिये हस्तक्षेप नही करता तो वे होते। जब कार्यवाही के अंत में न्यायालय अपना न्यायिक निर्णय सुनाता है जो कि उसके स्वयं के अंतरिम फैसल से मेल नहीं खाता। न्यायालय के कृत्य से हुई क्षति यदि कोई हो, तो उसे पूर्ववत कर दिया जाएगा और लाभ जो एक पक्षकार प्राप्त करता जब तक कि वह न्यायालय के आदेश द्वारा बाधित नही किया जाता, उसे ऐसा करने के लिए उत्तरदायी पक्ष को उपयुक्त रूप से आदेश देकर पक्ष को बहाल या प्रदान किया जायेगा। इसके विपरीत कोई भी राय अन्यायपूर्ण होगी यदि विनाशाकारी परिणाम नही होते है।

न्यायालय ने आगे कहा-

> "...मुकदमेबाजी एवं फलदायी उद्योग मे बदल सकती है, हालांकि मुकदमेबाजी जुआ नही है फिर भी प्रत्येक मुकदमेबाजी में अवसर का एक तत्व है। बेइमान पक्षकार न्यायालय से सम्पर्क करने में प्रोत्साहित महसूस कर सकते है, न्यायालय को उनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले के आधार पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए राजी कर

सकते है, जबकि विवाद पर सुना जाना और गुणावगुण पर निर्धारण करना शेष हो। यदि प्रतिपूर्ति की अवधारणा को अंतरिम आदेशों के आवेदन से बाहर रखा गया, तो वादी ऐसे अंतरिम आदेशों से लाभ प्राप्त करेगा। यद्यपि अंत में वह हार जाए, इसे स्वीकार नही किया जा सकता। इसलिए हमारी राय में सफल पक्ष मुकदमेबाजी के अन्त में आंकलन योग्य राहत, क्षतिपूर्ति का हकदार है-"

इसी प्रकार कनार्टक रेर अर्थ व अन्य बनाम सिनियर जिओलोजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ माईन्स व जिओलोजी व अन्य (2004) 2 एससीसी 783 में इसी न्यायालय द्वारा इसी दृष्टिकोण को दोहराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो पक्षकार अन्तः सफल होता है, उसे उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए जिसमे वे होते, यदि न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित नही किया गया होता।

19. डॉ.ए.आर. सिरकार बनाम यू.पी. राज व अन्य (1993) 2. एम. सी. सी. 734 के मामले में मेडिकल कॉलेज में मेडिसीन व्याख्याता के पद के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से की गई भर्ती के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ। इसमें अपीलार्थी को सीधी भर्ती के लिए उन प्रत्यर्थीगण के साथ चयन प्रक्रिया का सामना करना पडा जो कि इस पद पर तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे। अपीलार्थी का विधिवत् चयन किया गया था। हालांकि

निजी प्रत्यर्थी सफल नही हो सके। प्रत्यर्थीगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की और अपीलार्थी को अंतरिम आदेश प्राप्त कर उनके चयन से हुई नियुक्ति से रोक दिया। दूसरी तरफ उन्होंने नियमों के तहत नियमित किए गए पदों पर अपनी तदर्थ पदौन्नति प्राप्त की। अपीलार्थी अपने चयन के कई वर्षो बाद रिट याचिका के खारिज होने के बाद ही अपनी नियुक्ति प्राप्त करने में सफल हो सकता था। इस न्यायालय ने निर्णित किया कि वैधानिक नियमों के तहत अनुतोष प्राप्त करने के अतिरिक्त अपीलार्थी साम्य के तहत प्रत्यर्थीगण पर वरिष्ठता प्राप्त करने के हकदार है, क्योंकि उन्होंने अंतरिम आदेश प्राप्त कर एक ऐसे प्रकरण में जिसमें कोई दम नही था अपीलार्थी को उसके पद पर नियुक्ति से वंचित किया।

20. प्रबंधन समिति, आर्य नगर इंटर कॉलेज एवं अन्य बनाम श्री कुमार तिवारी व अन्य एआईआर 1997 एससी 3071 के मामले में प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। हालांकि वे उनके द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पारित अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा में बने रहे। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान तदर्थ नियुक्ति के नियमितीकरण के नियमों में संशोधन किया गया और इसक परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं भी नियमित कर दी गई। अन्ततः प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई। इस न्यायालय ने निर्णित किया कि सेवामें

उसकी निरन्तरता तथा नियमितीकरण समझ योग्य था क्योंकि वह रिट याचिका के निर्णय के अधीन था। जैसे ही रिट याचिका खारिज हुई, याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित उसकी सेवाओं मंे नियमितीकरण का अंतरिम आदेश अप्रभावी हो गया।

21. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी किसी अन्य काननी मुद्दे पर जाए बिना पूरी तरह से न्यायसंगत आधार पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई वरिष्ठता सूची बहाल की जाए।

22. इस मामले का एक अन्य पहलु भी है, दिनांक 19.12.1998 को आयोजित डी. पी.सी. द्वारा असंशोधित नियमों के तहत 42 रिक्तियों को भरने के लिए अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण पर विचार किया गया। हालांकि दोहराव की कीमत पर, यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि दिनांक 19.12.1998 का आयोजित डी. पी. सी. द्वारा केवल 30 अभ्यर्थियों/अपीलार्थीगण को ही योग्य पाया गया तथा उन्हे योग्यता के आधार पर असंशोधित नियमों के तहत पदौन्नत किया गया। बाद में दि. 22.1.1999 को आयोजित एक अन्य डी.पी. सी. द्वारा पदों की रिक्तियों को आगे बढाते हुए 12 प्रत्यर्थीगण को संशोधित मानदण्ड ‘‘अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता ‘‘ के तहत पदौन्नत किया गया। निर्विवाद रूप से 12 अधिकारी/प्रत्यर्थीगण दिनंाक 19.12.1998 को आयोजित

डी.पी.सी. द्वारा असंशोधित नियमों के तहत अयोग्य पाए गए। बाद में दोनों वर्ग के अधिकारियों को पिछली तारीखों से काल्पनिक रूप से पदौन्नत किया गया। अपीलार्थीगण को वर्ष 1994-95 की रिक्तियों के विरूद्व ए.ई.सी. के रूप में पदौन्नति दी गई थी जबकि प्रत्यर्थीगण को दिनांक 28.02.1997 एवं 13.08.1997 से, दिनांक 12.07.2000 की वरिष्ठता सूची तदनुसार तैयार की गई। चूंकि अपीलार्थीगण को दि. 6.12.95 से काल्पनिक पदौन्नति दी गई तथा उत्तरदाताओं को दि. 28.02.1997 एवं दि. 13.08.1997 से, दि. 12.07.2000 को वरिष्ठता सूची जारी करते समय उनकी परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण सही ढंग से किया गया था। कानून केवल असाधारण परिस्थितियों में भूतलक्षी प्रभाव से पदौन्नति की अनुमति देता है जबकि पदौन्नति किए जाने में कोई कानूनी बाधा रही हो- जैसे कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप।

23. किसी अधिकारी को केडर में उसके जन्म से पहले वरिष्ठता नहीं दी जा सकती, जिससे उससे पहले नियुक्त अन्य अधिकारी की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। " नियमित धारा में देरी से आने वाले नियमित पंक्ति में जल्दी आने वालों से जीत नही सकते।" (न्यायिक निर्णय -डॉ. एस.पी.कपूर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एआईटार 1981 एससी 2181,शीतला प्रसाद शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं सी अन्य, एआईआर 1986 एससी 1859 और उत्तराचंल फोरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन

(सीधी भर्ती) और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य,(2006) 10 एससीसी 346)

24. हस्तगत प्रकरण में दिनांक 19.12.1998 तथा 22.1.1999 को आयोजित अलग-अलग डी.पी.सी. द्वारा पदौन्नति दी गई। दोनों डी.पी.सी. द्वारा अलग-अलग नियमों के तहत अलग-अलग मापदंडों पर पदौन्नति की गई तथा उक्त भूतलक्षी प्रभाव से अलग-अलग तिथियों को काल्पनिक रूप से की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में अपीलार्थीगण की पदौन्नति को चुनौती नहीं दी गई। वरिष्ठता जो कि पदौन्नति के परिणामस्वरूप मिली उसे पदौन्नति को चुनौती दिये बगैर, चुनौती नहीं दी जा सकती।

25. मूल आदेश को चुनौती दिए बिना परिणामिक आदेश को चुनौती देना स्वीकार्य नही है। (न्यायिक दृष्टांत चित्रंजा मेनन और अन्य बनाम ए. बालाकृष्णन और अन्य के माध्यम से, एआईआर 1977 एससी 1720)

26. रोशनलाल व अन्य बनाम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, भारत व अन्य एआईआर 1981 एससी 597 के मामले में याचिकाएं मुख्य रूप से वरिष्ठता सूची तक ही सीमित थी तथा इस न्यायालय ने निर्णित किया कि अत्यधिक देरी के कारण नियुक्ति आदेशों की चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है तथा इसके अभाव में परिणाम की वैधता, वरिष्ठता तय नही की जा सकती। ऐसे प्रकरणों में एक पक्ष मूल आदेश को चुनौती

देने के लिए विधिक रूप से दायित्वाधीन है तथा यदि मूल आदेश गलत पाया जाता है तो ही परिणामी आदेशों की जांच की जा सकती है।

27. एच वी पारदासानी आदि बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एआईआर 1985 एससी 781 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि ''यदि अपीलार्थी यह स्थापित करने में सक्षम नही है कि उनकी वरिष्ठता का निर्धारण गलत है और वे इस तरह के विपरीत निर्धारण से पूर्वाग्रस्त रहे है, तो वास्तव में पदौन्नति का उनका अंतिम दावा सफल नही होगा।''

28. इसी तरह का मत इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य व अन्य बनाम देवकर डिस्टलरी (2003) 5 एससीसी 669 में दौहराया गया।

ये अपीले उपरोक्त निर्णय को पूरी तरह से कवर करती है। हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थीगण की पदौन्नति को चुनौती दिए बिना, परिणामी वरिष्ठता सूची को रद्द करने का अनुतोष नहीं दिया जा सकता।

29. सारांशः

स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी आबकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची मं अपीलार्थीयों से उपर थे। 1992 के नियम वर्ष 1994 में संशोधित किए गए, जिसमें पदौन्नति के मानदण्ड को ''योग्यता '' से ''अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता में बदल दिया गया। ए.ई.सी. के बयालीस पदों को आबकारी विभाग से भरा जाना था क्योंकि कोई आबकारी अधीक्षक ए.ई.सी.

के पद पर पदौन्नति के लिए विचार के लिए उपलब्ध नही था। राज्य सरकार उक्त रिक्तियों को संशोधित नियमों को लागू करके भरना चाहती थी। कुछ अपीलार्थीयों द्वारा चुनौती दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि 1992 के नियमों के संशोधन से पूर्व जो रिक्तिया थी, अर्थात् दिनांक 10.10.1994 को असंशोधित नियमों के अनुसार भरा जाना था। उच्च न्यायालय में निर्णय एवं आदेश की क्रियांविती इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट करते हुए रोक दी गई कि संशोधित नियमों के तहत इस तरह की पदौन्नति विशेष अनुमति याचिका के निर्णय के अधीन होगी। तद्नुसार 61 अधिकारियों/प्रत्यर्थियों को पदौन्नत किया गया। तत्पश्चात्, इस न्यायालय ने सीमा में 18.08.1998 के आदेश के द्वारा एस.एल.पी. को खारिज कर दिया। इस प्रकार पदौन्नत किए गए अधिकारी/उत्तरदाता को पदावनत नही किया गया। उक्त परिस्थितियों को भरने के लिए डी. पी.सी. का आयोजन दिनांक 19.12.1998 को किया गया था। लेकिन केवल 30 उम्मीदवार/ अपीलार्थी ही ए.ई.सी. के पद पर पदौन्नत होने योग्य पाए गए। प्रत्यर्थीगण को अनुपयुक्त पाया गया। उक्त प्रत्यर्थीगण को दूसरा मौका देने के लिए राज्य सरकार ने शेष 11 रिक्तियों को आगे बढाया गया। (Carried Forward) और संशोधित नियमों के तहत उन्हे भरने को निर्देश दिया गया और इस उद्देश्य के लिए एक ओर डी.पी.सी. 22.1.1999 को बुलाई गई और उन्हे भिन्न मापदंड पर पदौन्नत किया गया। वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुए भूतलक्षी प्रभाव के साथ पदौन्नति दी गई।

अपीलार्थीगण को भर्ती वर्ष 1995 में उत्पन्न हुई रिक्तियों के विरूद्ध काल्पनिक आधार पर पदौन्नति दी गई जबकि प्रत्यर्थीगण को भर्तीवर्ष 1996 एवं 1997 में हुई रिक्तियों पर काल्पनिक आधार पर पदौन्नति दी गई। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने इस तथ्य में निष्कर्ष को दर्ज करते हुए त्रुटि की। दोनों वर्गो के अधिकारियों को एक ही तारीख से काल्पनिक आधार पर पदौन्नत किया गया। स्वीकृत रूप से पदौन्नति एक ओर एक ही तारीख से प्रभावी नही की गई। अपीलार्थीगण तथा प्रत्यर्थीगण को विभिन्न नियमों तथा विभिन्न मानदण्डों के तहत विभिन्न भर्ती वर्षो में हुई रिक्तियों के विरूद्व पदौन्नति दी गई। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठा मं अपीलार्थीगण से नीचे रखा जायेगा।

इसलिए यह मानने का कोई औचित्य नही हो सकता कि उनकी फिडिंग केडर में अंतर वरिष्ठता ए.ई.सी. की वरिष्ठता निर्धारण में प्रासंगिक होगी। इसके अलावा, यदि इस न्यायालय के द्वारा अंतरिम आदेश नही पारित किया जाता अपीलार्थीगण को असंशोधित नियमों के तहत बहुत पहले ही पदौन्नत किया जा सकता था। इस प्रकार वे साम्यिक अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है क्योंकि इस न्यायालय के अंतरिम आदेश को बेअसर करने की आवश्यकता थी। अपीलार्थीगण को पहले की तारीख में पदौन्नत किया गया था, इस प्रकार प्रत्यर्थीगण की तुलना में वरिष्ठ होने के लिए बाध्य है, जिन्हे कि बाद की तारीख से पदौन्नत किया गया। अपने

केडर में कोई भी कर्मचारी अपने जन्म से पहले वरिष्ठता का दावा नही कर सकता।

30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपील सफल होती है तथा स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.04.2002 अपास्त किया जाता है। वरिष्ठ सूची दिनांक 12.07.2000 को प्रबल करने का निर्देश दिया जाता है तथा दिनांक 26.07.2002 की नई वरिष्ठता सूची को रद्द किया जाता है। खर्चे के संबंध मे कोई आदेश नही।

इस प्रकरण से अलग होने से पूर्व न्यायमित्र श्री गौरव अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना रिकार्ड करेंगे।

एस.एल.पी.(सी) संख्या 9615 सन् 2002

इस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर इस मामले की जांच किए बिना प्रारंभिक स्तर पर खारिज नही किया जा सकता था। हालांकि संबंधित अपील संख्या 5790-5792/2002 में पारित इस तिथि के आदेश को देखते हुए इस मामले में किसी आदेश की आवश्यकता नही है। तद्नुसार इसका निस्तारण किया जाता है।

अपील निर्णित की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अभिलाषा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।